सुखा बनाम हनुमानसहाय वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व ता... जो इस हु... में जारी हु...
20-4-18	उ.न. - 924/2017 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान फरीकेन उपस्थित/ पीठा... /अन्य कार्यों में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 30-7-18 को पेश हो।	
8-5-18	राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय ... 2018 श्रीमान संयुक्त शासन ... पत्रांक प ... श्रीमान जिला कलक्टर ... की पालना एवं पालना में पत्रावली पू... आज पेश हुई। उक्त ... 30-7-18 ... सुनवाई हेतु रखी जाती है ... अटल सेवा केन्द्र अजीतगढ़ ... दिनांक 24-5-18 को पत्रावली पेश हो। ... एवं स्थान पर उपस्थित ...	
24.05.2018	पत्रावली आज राज्य सरकार के द्वारा चलाये जा रहे न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के महत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्पः– अजीतगढ में पेश हुई। प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण सुखा पुत्र नारायण जाट वगै0 के द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र पेश किया गया है। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि ग्राम अजीतगढ़ के भूमि खसरा नम्बर 2487 रकबा 0.01 हैक्टर, 2488 रकबा 3.74 हैक्टर, 2489 रकबा 1.98 हैक्टर जिसके वादीगण रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार होकर अपनी उक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रतिवादी न. 1 का वादीगण की उक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि से कोई संबंध नहीं है एंव ना ही रहा है। उक्त भूमि के प्रतिवादी सख्ंया 1 पड़ौसी खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्1 काफी चालाक व बदमाश व लड़ाकू किस्म का व्यक्ति है। जिसने एक नाजायज गिरोह बना रखा है। खसरा नम्बर 2489 की पश्चिमी तरफ की लगी हुई कदीमी सीवं डोल व तारबन्दी को तोड़कर एंव खुर्द बुर्द कर जोर जबरन लाठी व ताकत के बल पर	

सुखा बनाम हनुमान सहाय वगै0
दावा
मुकदमा नं. 924/2017

वादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि पर अतिक्रमण करने व अवैध निर्माण करने पर उतारू है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 से मिलकर एंव साज करके मनमर्जी की अवैध व फौरी कार्यवाही सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी बाबत करवाकर वादीगण के हितों पर कुठाराघात करने पर उतारू है। जिसका प्रतिवादी को किसी किस्म का अधिकार नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 अपने समर्थकों के साथ जे.सी.बी. मशीन लेकर दिनांक 5.12.2017 को मौके पर आया व वादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमियों की कदीमी सींव डोल व तारबन्दी को नष्ट कर व खुर्द बुर्द करके जोर जबरन अतिक्रमण करने व नींव खोदकर अवैध निर्माण करने पर उतारू हो गया। जिस पर वादीगण ने प्रतिवादी को रोका तो जानलेवा हमला कर मारपीट करने पर उतारू हो गया। इसलिये वाद पेश करना आवश्यक हुआ।

वादीगण ने विरूद्ध प्रतिवादीगण वादपत्र पेश कर प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन अपने वादपत्र में किया है।

वादीगण द्वारा मूल वादपत्र पेश करने पर प्रतिवादी न. 1 द्वारा जवाब दावा पेश किया है। जिसमे प्रतिवादी न. 1 ने अवगत कराया कि भूमि खसरा नम्बर 2481 रकबा 1.05 हैक्टर की प्रतिवादी नं. 1 के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है। प्रतिवादी न. 1 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2481 की पूर्वी ओर सींव जोड़ वादीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2489 रकबा 1.98 हैक्टर स्थित है। खसरा नम्बर 2481 की पूर्वी ओर सीमा पर नींव सींव कायम थी परन्तु वादीगण संख्या बल में अधिक होने से प्रतिवादी कमजोर अकेला परिवार होने का नाजायज फायदा उठाते हुये सीमा पर आये दिन विवाद कर अतिक्रमण करते रहते है।

Scanned by CamScanner

हुक्म

सुखा बनाम् हनुमान सहाय वगै0
दावा
मुकदमा नं. 924/2017

प्रतिवादी सं. 1 ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर से अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2481 की पूर्वी व दक्षिणी सीमा पुनः कायम करने हेतु सीमाज्ञान दिनांक 20.6.2016 को करवा लिया। जिस पर पूर्व मे जो सीमा खसरा नम्बर 2481 वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 2489 तथा अन्य दक्षिणी सीमा की खसरा नम्बर 2486 के मध्य अवस्थित थें। वही सीमा नपती के दौरान कायम थी। वादीगण द्वारा प्रतिवादी नम्बर 1 को हैरान परेशान करने की नियत से गलत व मिथ्या तथ्यों के आधार पर महज पत्थरगढ़ी की न्यायिक कार्यवाही के प्रार्थना पत्र के विलम्बता एंव अवरोध उत्पन्न बाबत पेश कियसा है। जो वादीगण का वाद प्रथम दृष्टवा ही खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण न्यायालय के सम्मुख सही सद्भाविक वास्तविक स्थिति प्रकट करते हुए शुद्ध हस्त से नहीं आये है। अतः वादपत्र खारीज किया जावे।

हमने वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व उपलब्ध जवाब दावा, राजस्व रिकार्ड दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में वर्णित खसरा नम्बरान से सम्बन्धित प्रतिवादी न. 1 ने एक प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी का पेश कर रखा था जो आज आयोजित राजस्व लोक अदालत में लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाकर सीमाज्ञान किये गये उक्त खसरा नम्बरान् में भौतिक स्थिति में बिना कोई परिवर्तन किये पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश पारित किये जा चूके है। अतः ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा पेश वादपत्र न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत कैम्प अजीतगढ़ में लोक अदालत की भावना से स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को

Om-

Scanned by CamScanner

हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज | नम्बर व तारीख अ... जो इस हुक्म की ता... में जारी हुये

सुखा बनाम् हनुमान सहाय वगै0
दावा
मुकदमा नं. 924/2017

स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि भूमि खसरा नम्बर 2487 रकबा 0.01 हैक्टर, 2488 रकबा 3.74 हैक्टर, 2489 रकबा 1.98 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इसी भाँति खर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 24.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प– अजीतगढ़ के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

(ब्रह्म लाल जाट)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः– अजीतगढ़

Scanned by CamScanner